<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.03.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने चमकौर लाल पटवारी और चार अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), एसएएस नगर, मोहाली के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है और माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को **24.03.2026** को पूर्व संज्ञान चरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।

ईडी ने सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988** की धारा **13 (1) (**बी) और **13 (2)** के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जांच अवधि **01.04.2017** से **31.03.2023** के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि पंजाब सरकार की डेरा बस्सी और खरड़ तहसीलों में पटवारी के रूप में कार्यरत चमकौर लाल ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जांच में यह पाया गया कि अपराध से प्राप्त आगम को अचल और चल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया था।

जांच में आगे पता चला कि पटवारी चमकौर लाल ने अवैध धन को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में रिश्तेदारों और परिचितों से ऋण के रूप में छिपाकर भेजा, जिससे इन काले धन को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। उसने अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग से प्राप्त अपराध की आगम से एक आलीशान घर प्राप्त किया। जांच में पता चला कि बैंक खातों से न्यूनतम नकदी निकाली गई ताकि निवेश के लिए कानूनी आय उपलब्ध हो सके और चमकौर लाल और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए जीवनशैली और अन्य दैनिक खर्चों के अनुपात में नकद निकासी न हो। यह भी स्थापित किया गया है कि पटवारी चमकौर लाल ने अनुसूचित अपराधों से जुड़े अपराध आगम के माध्यम से लगभग **2.76** करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। इससे पहले, इस मामले में एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिससे अपराध के आगम से अर्जित **2.76** करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई थी।